

फॉर्म अहकाम

मार्गदर्शक सहायक न्याय पंडित व अन्य

92/25

दिनांक

आपका दिनांक क्या है

दिनांक दिखाने

09/05/2025

अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र श्रावण अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत द्वारा 212 राजस्थान कानूनकारी अधिनियम 1955 का पेश किया शिफर्ट रजिस्ट्रार गवर्नर की सूची है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र एवं विवादित आराजीयात के राजवद रिकार्ड की छायाप्रतियां पेश की है। तकील प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पर सुना। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहरस तकील प्रार्थी व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर, अप्रार्थीगण का जवाब आने तक जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उसके ग्राम पंचालिया, पटवार हल्का पंचालिया, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मुहाना तह0 सांगानेर जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या 295 पुराना 237 के खसरा नम्बरान 1337/1768, 1368/1769, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382 कुल कित्ता 16 कुल रकबा 8.57 है0 एवं खाता संख्या 168 पुराना 137 के खसरा नम्बर 1501, 1502 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 2.68 राजवद रिकार्ड व मौके की यथारिथति बनाये रखे। कोई आपत्ति हो तो हाजिर अदालत होकर पेश करे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। आगामी तारीख पेशी पर अप्रार्थीगण की रजिस्टर्ड नोटिस डाक रसीद पेश नही करने व जवाब आने तक उक्त स्थगन आदेश स्वत ही निरस्त माना जावेगा। अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर जारी होकर आदेश 39 नियम 3 की पालना में दिनांक 15/5/25 को पेश हो।

गोपाली
91-23M
17/5/25

9/5/25

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय

मजावली के अहकाम। तकील प्रार्थीगण उपाख्ये।
अप्रार्थीगण को आपना खलवाद विद्वा कट लिया
गया है। स्वयं प्रार्थना पत्र पर कोशिश
करवायी अस्थाई नही रह जारी है। अब
प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र खलवाद में संलग्न
के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र
अस्थाई निषेधाज्ञा विद्वा लिखा गया है।
पत्रावली दर्ज नम्बर के नम होकर दर्ज
वाद तकील दाखिल दफतर हो।

गोपाली
9/5/2025

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)